न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,राशमी कैम्प लसाडिया कलां

पीठासीन अधिकारी – श्रीमी नीता वसीटा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
004/2020	26.08.2020	12.11.2021

अनवान

1. मु.जमनी पत्नि स्व. शंकर जाति जाट आयु बालिग पेशा काश्त निवासी शम्भुपुरा मजरा लसाडिया कंला तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0
2. रतनी पुत्री शंकर जाति जाट आयु बालिग पेशा काश्त निवासी शम्भुपुरा मजरा लसाडिया कलां तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0 पत्नि कैलाशचन्द्र हाल मुकाम नान्दशा (खालसा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा राज0।

अपीलांट्स

बनाम

1. दिनेश पिता शंकर जाति जाट आयु बालिग पेशा काश्त निवासी शम्भुपुरा मजरा लसाडिया कलां तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ ।
2. राजु पिता शंकर जाति जाट आयु बालिग पेशा काश्त निवासी शम्भुपुरा मजरा लसाडिया कलां तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
3. शान्ता बाई पिता शंकर पत्नि शंकर जाति जाट आयु बालिग पेशा काश्त निवासी शम्भुपुरा मजरा लसाडिया कलां तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0 हाल मुकाम करजीया तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
4. रतनी पत्नि शंकर जाति जाट आयु बालिग पेशा काश्त निवासी शम्भुपुरा मजरा लसाडिया कलां तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री विनोद कुमार आचार्य अपीलांट।
अधिवक्ता श्री गोविन्दलाल व्यास रेस्पोडेन्ट।

–:: अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2152 निर्णय दिनांक 05.01.2019 निर्णय ग्राम पंचायत लसाडिया कंला निरस्त कराने एंव निर्णय अपीलान्टगण के पक्ष में पारित करने हेतु ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स ने एक अपील खिलाफ रेस्पोडेन्ट्स के पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लसाडिया कलां का निर्णय ..... के विपरित होने से निरस्त योग्य है। चुकि अधिनस्थ न्यायालय ..... मृतक ..... मृतक के सभी वारिसान की जानकारी किये बिना ..... मनमना निर्णय पारित करने में विधि की भूल की है। यह कि ग्राम शम्भुपुरा (लसाडिया कलां) के बैरुन हल्का आबादी में आराजीनम्बर ...84 रकवा 6विघा 1... स्थित है जो अपीलान्ट संख्या 1 के मृतक पति एंव अपीलान्ट संख्या 2 के मृतक पिता शंकर पिता लालु जाट के नाम दर्ज थी। किन्तु खातेदार कि मृत्यु के बाद

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.23 11:36:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

इसी नाम से अन्य व्यक्ति जिसका नाम भी शंकर पिता लालु जाट होने से एंवम दोनों ही शंकर पिता लालु जाट की मृत्यु का अंतराल केवल 3-4 माह के भीतर हुई किन्तु विरासत का नामान्तकरण खोलते समय वास्तविक वारिसान की सही जांच किये बिना ही अपीलान्टगण के मृतक पिता एंव पति के स्वामित्व की आराजी संख्या 1984 रकबा 6बिघा 11 बिस्वा का वारिस रेस्पोडेन्टगण को गलत रूप से बताकर नामान्तकरण फैसल करने में भारी भुल की हैं जबकि रेस्पोडेन्ट के मृतक कपिता एंव पति शंकर पिता लालु के स्वामित्व की वर्णित आराजी कभी नही रही एंव न ही कभी कब्जा काश्त ही रहा हैं फिर भी मन माना निर्णय पारित करने में तथ्यों की भुल की हैं। यह है कि वर्णित आराजी अपीलान्टगण के मृतक पति एंव पिता शंकर पिता लालु जाट ने लगभग 32 वर्ष पुर्व श्री धुला,प्यारा,गिरधारी,शंकर पिता उदा जाट निवासी रतनखेडी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की तब से अपीलान्टगण काविज होकर काश्त करते आ रहे एंवम विक्रेतागण धुला,की मृत्यु हो चुकी हैं एंव विक्रेता प्यारा गिरधारी शंकर पिता उदा जाट निवासी रतन खेडी के अलग-अलग शपथपत्र भी प्रस्तुत किये जा रहे है। यह कि रेस्पोडेन्टगण के मृतक पिता एंव पति शंकर पिता लालु पिता भारमल है एंव अपीलान्टगण के पिता एंव पति शंकर पिता लालु पिता भजा जाट है तथा रेस्पोडेन्टगण के मृतक पिता एवं पति शंकर पिता लालु के नाम कभी भी न तो मृतक को विरासत से अपने पिता लुल पिता भारमल से कोई अधिकार प्राप्त हुआ एंव न ही शंकर पिता लालु ने कोई उक्त आराजी कभी भी क्रय की हैं चुकि लालु पिता भारमल कई वर्षो पुर्व लापता हो गये जिससे वर्तमान में भी राजस्प रेकार्ड लालु पिता भारमल के नाम ही चला आ रहा है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के मृतक पिता एंव पति शंकर पिता लालु के स्वामित्व की आराजी होते हुए भी सही वारिसान की जांच किये बिना ही रेस्पोडेन्टगण के नाम गलत रूप से नामान्तकरण फैसल करने मे मनमना निर्णय पारित कर तथ्यों की भारी भुल की है। यह है कि अपीलान्टगण अनपढ महिला होने से राजस्व रेकार्ड की सही जानकारी नही कर पायी किन्तु कृषि ऋण प्राप्त करने के लिये राजस्व रेकार्ड हेतु तहसील कार्यालय मे सर्म्पक करने पर एंव नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति दिनांक 28.07.2020 को प्राप्त करने से तथ्यों की सही जानकारी हुई जिससे अपील बिना किसी देरी के जानकारी होते ही प्रस्तु कि जा रही हैं जो अन्दर म्याद पेश है फिर भी अपीलान्टगण की ओर से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अन्दर म्याद शुमार [illegible] निवेदन है कि अपीलान्टगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर [illegible] आदेश ग्राम पंचायत लसाडिया कलां नामान्तकरण [illegible] दिनांक 07.01.2019 को निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार शंकर पिता लालु जाट के खातेदारी दर्ज आराजी नम्बर 1984 रकबा 6बिघा 11 बिस्वा का नामान्तकरण अपीलान्टगण के पक्ष में बराबर हिस्से से फैसल किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.23 11:36:59 IST
Reason: SelfAttested

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
राशमी

Scanned by CamScanner

इस पर अपीलांट्स की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.03.2021 को रेस्पोंडेंट्गण संख्या 1से लगातय 4 बावजुद सूचना हाजिर नही आने से इनकें विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 09.11.2021 को अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया गया कि हम पक्षकाराण के मध्य राजीनामा हो जाने से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश करना चाहते हैं जिसे रेकॉर्ड पर लिया गया। रेस्पोडेन्ट्गण 1,3,4, की और से गोविन्द लाल व्यास द्वारा अधिकार पत्र पेश कर राजीनाम अनुसार प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु राजीनामा पेश कर निवेदन किया की रेस्पोडेन्ट्गण द्वारा राजीनामा में उक्त अनवान के प्रकरण में वर्णित आराजी अपीलान्ट्गण की पैतृक है गलती से पूर्व खातेदार का नाम समान होने से हम रेस्पोडेन्ट्गण के नाम दर्ज हो गई जो हमारी नही है अतः अपीलान्ट्गण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने पर हमे कोई आपत्ति नही हैं अतः लोक अदालत की भावना से हम राजीनामा पेश कर रहे है। अतः राजीनामा अनुसार प्रकरण निस्तारण फरमाया जावे। हमे राजीनामा स्वीकार हैं। रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 2 की और से माता रतनी पत्नि शंकर जाति जाट निवासी लासडिया कलां द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि राजु आज आवश्यक कार्य से बाहर चला गया जिस कारण आज हाजिर नही हो सका चुकी रेस्पोडेन्ट राजु की जायन्दा माता हुँ और उसकी और से मै स्वंय राजीनामा पेश कर रही हुँ जो स्वीकार फरमावे। उभयपक्षकारण द्वारा राजीनामा को सुन समझ कर स्वीकार किये जाने के उपरान्त राजीनामा को तस्दीक किया जाकर शा०पत्रावली किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस अपीलमेमों को सुना गया। पत्रावली को निर्णय हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर लसाडिया कलां में रखी जावे। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर लसाडिया कलां में पेश हुई शिविर स्थल पर मजमे आम में उपस्थित मौतबिरान द्वारा भी अवगत कराया गया कि ग्राम शम्भुपुरा की आराजी नम्बर 1984 रकबा 6 बिघा 11 बिस्वा का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट्गण के पक्ष में गलत खोला गया हैं जिसे अपीलान्ट्स के पक्ष में खोला जाना न्यायोचित है।

हमने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का मय शपथ पत्र के अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को सुना गया। मनन किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर एवं अपील में हुये विलम्ब को क्षम्य किये जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने मृतक [illegible] शंकर पिता लालु जाट का पटवार हल्का लसाडिया क[illegible] [illegible] पर बनाया गया सजरा एवं खोले गये नामान्तकरण का अवलोकन [illegible] हुए बहस समाप्त की गई।

अपील में निर्णय का बिन्दु यह है कि वक्त निर्णय नामान्तरकरण संख्या 2152 दिनांक 05.01.2019 ग्राम पंचायत लसाडिया कलां द्वारा मृतक खातेदार शंकर पिता लालु जाट के वारिसान के नाम पर नामान्तकरण निर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.23 11:36:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रासमी

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Scanned by CamScanner

नहीं किया गया हैं अथवा नहीं? नहीं कि स्थिति में मृतक खातेदार शंकर पिता लालु जाट का वारिसाना नामान्तकरण विधिवत जॉच किया जाकर मृतक खातेदार के वारिसान के नाम पर निर्णित नहीं होना अधीनस्थ न्यायालय की विधिक भूल हैं, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लसाडिया कला के निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2152 निर्णय दिनांक 05.01.2019 को अपास्त किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली अपील अपीलांट का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपील के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत लसाडिया कलां द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2152 दिनांक 05.01.2019 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 2152 के कॉलम संख्या 16 में पटवारी रिपोर्ट अनुसार खातेदार श्री शंकर पिता लालुराम जाट की मृत्यु हो चुकी हैं। माफिक सजरानुसार वारिसान के नाम नामान्तकरण भरकर पेश है ग्राम पंचायत लसाडिया कलां बाद जॉच निर्णित फरमावे। पटवार हल्का लसाडिया द्वारा सजरा में वारिसान शंकर पिता लालुराम जाट का अंकन किया गया हैं। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत पहुँना द्वारा पटवारी रिपोर्ट की तस्दीक ही किया जाना जाहिर होता है। उस पर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लसाडिया कलां ने अपने निर्णय में अंकित किया गया कि वक्त कोरम दिनांक 05.01.2019 को नामान्तकरण पेश हुआ कॉलम संख्या 07 के बजाय कॉलम सं 09 पर दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती हैं। उक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि समस्त कार्यवाही बिना किसी विधिक जॉच में की गई हैं।

उक्त निर्णिय में ग्राम पंचायत ने बिना किसी जॉच के निर्णित किया जाना जाहिर होता है मृतक खातेदार शंकर पिता लाल जाट के विधिक वारिसान के बजाय उसी नाम के अन्य व्यक्ति के शंकर पिता लालूराम नाम नामान्तकरण खोल दिया गया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की विधिक भूल प्रतीत होती हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लसाडिया कलां द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2152 निर्णय दिनांक 05.01.2019 अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। एवं मृतक खातेदारान के वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं मृतक खातेदार शंकर पिता लालु जाट के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। एवं आदेश दिया जाता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लसाडिया कलां द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2152 निर्णय दिनांक 05.01.2019 को अपास्त किया जाता हैं तथा मृतक खातेदार शंकर पिता लालु जाति जाट निवासी शम्भुपुरा के वारिसान नामान्तकरण मु0जमनी पत्नि स्वं. शंकर जाति जाट निवासी शम्भुपुरा 1/2 रतनी पुत्री शंकर जाति जाट निवासी शम्भुपुरा 1/2 के नाम पर दायर किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.23 11:36:59 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी के संग अभियान-2021 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
राशमी

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार राशमी को आदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लसाडिया कलां द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2152 निर्णय दिनांक 05.01.2009 को अपास्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार शंकर पिता लालु जाति जाट निवासी शंम्भुपुरा का वारिसान नामान्तरकरण मु0जमनी पत्नि स्वं. शंकर जाति जाट निवासी शम्भुपुरा 1/2 रतनी पुत्री शंकर जाति जाट निवासी शम्भुपुरा 1/2 के नाम पर दायर किया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार राशमी को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को खुले मजमे आम प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर लसाडिया कलां में सुनाया जाकर लिखाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.23 11:36:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner